भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2140
दिनांक 29 जुलाई, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृष्टिबाधिता नियंत्रण कार्यक्रम

2140. डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री जी. सेल्वम:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री धनुष एम. कुमार:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
डॉ. पोन गौतम सिगामणि:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधिता नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबीवीआई) लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एनपीसीबीवीआई के कार्यान्वयन में सरकार के समक्ष क्या-क्या चुनौतियां हैं;

(ग) क्या सरकार ने एनपीसीबीवीआई के माध्यम से दृष्टिहीनता की व्यापकता को 0.3 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मूल्यांकन के क्या परिणाम रहे;

(ङ) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कार्यक्रम के लिए वर्ष-वार और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(च) क्या सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र दृष्टिहीनता की व्यापकता को कम करने के लिए कार्यक्रम को समुचित रूप से लागू कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा देश में दृष्टिहीनता के मामलों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (छ): राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम को वर्ष 2017 से सशक्त बनाया गया और सभी प्रकार की दृष्टिबाधिता को कवर करने के लिए इसका विस्तार किया गया था। इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृष्टिबाधिता नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबी एवं वीआई) कर दिया गया था और परिहार्य दृष्टिहीनता की व्याप्तता को कम करके 0.25% करने के लिए संपूर्ण देश में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। मोतीयाबिंद, अपवर्तन संबंधी दोषों, कॉर्निया संबंधी दृष्टिहीनता तथा बाल दृष्टिहीनता के अलावा यह कार्यक्रम ग्लूकोमा, मधुमेह संबंधी रेटीनोपैथी, रेटीनोपैथी ऑफ प्रिमेच्योरिटी (आरओपी), आयु संबंधी मैक्यूलर डीजनरेशन आदि नेत्र संबंधी अन्य रोगों पर फोकस कर रहा है जो मधुमेह जैसी जीवनशैली की बीमारियों और बढ़ती उम्र से जुड़े हैं। आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के माध्यम से देश में निवारक और उपचारात्मक नेत्र परिचर्या सेवाएं भी उपलब्ध करायी जा रही हैं।

कोविड महामारी ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए परिचालन संबंधी चुनौतियां पैदा की है।

दृष्टिहीनता की व्याप्तता का मूल्यांकन के लिए वर्ष 2015-19 के दौरान 'राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधिता के तहत सर्वेक्षण किया गया था' जिसमें देखा गया कि दृष्टिहीनता की व्याप्तता 1% (2007) से गिरकर 0.36% (2019) रह गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनपीसीबीवीआई के अंतर्गत राज्य/संघ क्षेत्र-वार आवंटित निधियों का ब्यौंरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न कार्यकलापों की प्रगति रिपोर्ट की निगरानी स्वास्थ्य औऱ परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मासिक आधार पर की जाती है। सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र इस कार्यक्रम के अंर्तगत मोतियाबिंद सर्जरी, स्कूल आई स्क्रीनिंग, कोरोनियल प्रत्यारोपण के लिए दान किए गए नेत्रों का संग्रहण अन्य नेत्र रोगों (मधुमेह संबंधी रेटीनोपैथी, ग्लूकोमा, बाल्यवस्था दृष्टिहीनता, केराटोप्लास्टि आदि), के उपचार और प्रबंधन, नेत्र शल्य चिकित्सकों के प्रशिक्षण संबंधी क्रियाकलापों का कार्यान्वयन कर रहे है।

कार्यक्रम की मॉनीटरी राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। दृष्टिहीनता के मामलों की बढ़ रहीं संख्या को रोकने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर पंचायतों से पदाधिकारियों, एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) के कर्मचारियों, आशाकार्यकर्ताओं, एनजीओ तथा महिला मंडलों जैसे अन्य स्वैच्छिक समूहों को जिला स्वास्थ्य सोसायटियों द्वारा सहभागी बनाया जाता है।

अनुलग्नक I

वित्त वर्ष 2019- 20 से 2021-22 के लिए एनएचएम के अंतर्गत गैर- संचारी रोगों संबंधी फ्लैक्सीबल पूल के तहत राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबी) के अंतर्गत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र- वार अनुमोदन राशि

लाख रू. में

क्रं.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13.79	26.82	24.78
2	आंध्र प्रदेश	6022.04	6814.5	9096.5
3	अरुणाचल प्रदेश	596.1	457.45	133.7
4	असम	1218.85	1384.56	930.15
5	बिहार	3504.95	4400.08	3881.26
6	चंडीगढ़	3.5	4	42.45
7	छत्तीसगढ	673	1055.5	1502.11
8	दादरा और नगर हवेली	16.2		
9	दमन और दीव	10.49	16.26	15.72
10	दिल्ली	727.7	362.8	402.8
11	गोवा	94.9	101.9	113.9
12	गुजरात	4264.04	3860.18	4315.72
13	हरयाणा	451.85	728.45	871.49
14	हिमाचल प्रदेश	160.63	219.6	170.41
15	जम्मू और कश्मीर	484.95	449.6	940
16	झारखंड	8429.68	1745	1786
17	कर्नाटक	2963.23	3127.54	3323.43
18	केरल	2200.1	1155.55	1303.38
19	लद्दाख	-	0	143.53
20	लक्षद्वीप	18	31.93	51.26
21	मध्य प्रदेश	5271.55	4642.6	6400.47
22	महाराष्ट्र	2016.9	802.15	872.03
23	मणिपुर	298	342.95	452.98
24	मेघालय	47	115.2	200.21
25	मिजोरम	142.65	116.08	144.65
26	नागालैंड	233.3	109.7	127.1
27	उड़ीसा	3177.62	2262.52	2112.13
28	पुद्दुचेरी	95.59	96.79	197.56
29	पंजाब	1968.95	775.18	825.4
30	राजस्थान	3836.6	3933.05	4509.54
31	सिक्किम	23.4	56.25	110.75
32	तमिलनाडु	6441.35	6347.75	6312.03
33	तेलंगाना	1347	1757.64	1125.7
34	त्रिपुरा	76	450.75	308.14
35	उत्तर प्रदेश	8164.66	7190.5	12948.87
36	उत्तराखंड	394.62	462.83	161.72
37	पश्चिम बंगाल	2115.7	2688.77	4607.57

नोट: उपरोक्त सूचना राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र द्वार प्रस्तुत वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार है और यह 31.03.2022 अद्यतन एवं अनंनतिम है।